न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/18/2025	2025/35	31.01.2025	14.05.2025

1– समीरी पुत्री दलमीर पत्नी सुभान जाति मेव निवासी ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर हाल ग्राम रामबास झोपडी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

2– अखतरी पुत्री दलमीर पत्नी हसन खॉ जाति मेव निवासी ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर हाल ग्राम थानाधोडा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

3– सुमरी पुत्री दलमीर पत्नी शरीफ खॉ जाति मेव निवासी ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम सिलारपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

4– जावेद पुत्र स्व0 रोशनी पत्नी हाकम,

5– मजलीश पुत्र स्व0 रोशनी पत्नी हाकम,

6– जुनेद पुत्र स्व0 रोशनी पत्नी हाकम,

7– शकुनत पुत्र स्व0 रोशनी पत्नी हाकम जाति मेव निवासी ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा हाल निवासी ग्राम मौजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राजस्थान)

8– इनसीरा पुत्री सहीदा न दोयती दलमीर पत्नी अहमद जाति मेंव निवासी घाटा समसाबाद तहसील झिरका फिरोजपुर जिला नूंह मेवात हरियाणा।

9– हसीना पुत्री सहीदन पत्नी जाकम जाति मेव निवासी ग्राम बुजाका तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

10– अनिसा पुत्री सहीदन पत्नी इन्नस जाति मेव निवासी ग्राम बुजाका तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

11– रूकसीना पुत्री सहीदन पत्नी जाहिद जाति मेव निवासी ग्राम घाटा समसाबाद तहसील झिरका फिरोजपुर जिला नूंह मेवात हरियाणा।

12– फिरदोस पुत्री सहीदन दोहती दलमीर पत्नी अरसद जाति मेव निवासी ग्राम कंकराली तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान।

13– मुबीन पुत्र सहीदन,

14– असलम पुत्र सहीदन,

15– मौसम पुत्र सहीदन जातियान मेवान निवासीगण ग्राम सिलारपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

16– कईका पुत्री इसलामी,

17– जालिफ पुत्र इसलामी,

18– आवेस पुत्र इसलामी जातियान मेंवान निवासीगण ग्राम धाटा समसाबाद तहसील झिरका फिरोजपुर जिला नूंह हरियाणा।

अपीलान्टान

बनाम

1– सरकार जर्ये तहसीलदारा मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

2– सहीमन पुत्री दलमीर पत्नी गफूर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

3– फातमा पुत्री दलमीर पत्नी इसराईल जाति मेव निवासी ग्राम जैरोली तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

4– जाकिर हुसैन पुत्र गफूर खॉ जाति मेव निवासी ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

रेस्पॉडेन्ट

कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर निर्णय दिनांक 30.07.2023 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में एक फर्जी वसीयत की बेजा रूप से पुष्टि की गयी है, को अपास्त किये जाने।

उपस्थित–

01. श्री धीरसिंह चौधरी —वकील अपीलान्ट

02. श्री सरजीत सिंह चौधरी —वकील रेस्पोडन्ट सं0 2 लगा0 3

03. श्री मदन लाल सावरिया —वकील रेस्पोडन्ट सं0 4

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 30.07.2023 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में एक फर्जी वसीयत की बेजा रूप से पुष्टि की गयी है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 हाल 155, 202, 214, 285, 236, 237, 286, 203 वाके ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर जो कि मृतक दलमीर पुत्र उमर खॉ जो कि अपीलान्टान के पिता व नाना थे, कि खातेदारी दर्ज है। जिसका विरासत का नामान्तकरण हल्का पटवारी द्वारा विधिक व जायज वारिसान के नाम दर्ज मंजूर किया था, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने एक फर्जी वसीयत तैयार कराई और फर्जी वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने मृतक दलमीर की विरासत अपने नाम दर्ज करवानी चाही जिस पर तहत अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है, कि दलमीर का स्वर्गवास दिनाक 07.01.2021 को हो गया। दलमीर खॉ को ग्राम अगवानी में नामान्तकरण संख्या 572 से अपने पिता उमर खॉ पुत्र शेर खॉ से आराजी कृषि विरासत में प्राप्त हुयी। यहॉ तहत अदालत ने यह फाईन्डिंग दी है, कि आराजी दादालाई है, जबकि प्राकृतिक न्याय का यह सामान्य सिद्वान्त है, कि दादालाई आराजी की वसीयत वैध नही होती है। तहत अदालत को नामान्तकरण संख्या 572 से बखुबी जानकारी हो गयी थी, कि आराजी जो दलमीर को प्राप्त हुई वो स्वयं की आराजी नही थी, दादालाई थी। जिस पर दादालाई की आराजी की वसीयत वैध नही होती है, जिस पर तहत अदालत ने गौर नही किया गया। तहत अदालत ने अपने निर्णय में अंकित किया है, कि वसीयतनामा के संदर्भ में पटवारी हल्का दांतला द्वारा रिपोर्ट दिनाक 02.10.2023 पेश की गयी। जबकि दिनाक 01.10.2023 तारीख अभी करीब 2 माह बाद आयेगी। जिस पर तहत अदालत ने अपने जुडिशल माईन्ड अपलाई नही किया गया। तहत अदालत ने अपने निर्णय में वसीयत के आधार पर गवाहान के बयान लिए और हल्का पटवारी से रिपोर्ट वसीयत के आधार पर ली गई। गवाहान के बयान भी वसीयत के आधार से हुए तो फिर तहत अदालत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में गोदनामा होना जाहिर कर दिया। तहत अदालत ने अपने ब्लाईन्ड आदेश में स्पष्ट फाईन्डिंग नही दी। तहत अदालत वसीयत का फेसला करना चाहता है, या गोदनामा का फेसला करना चाहता है, यह निर्णय में स्पष्ट नही हो पा रहा है। जबकि वसीयत का कानून का सिद्वान्त अलग होता है। और गोदनामा का सिद्वान्त अलग होता है। किन्तु तहत अदालत ने उक्त कानूनी बिन्दू पर कोई गौर नही किया गया ओर आदेश गोलमाल कर दिया। तहत अदालत ने सहीदन के फौत होने का भी जिक्र अपने निर्णय में नही किया है। जबकि सहीदन की मृत्यु दिनाक 13.04.2023 को हो चुकि है। आदेश दिनाक 30.07.2023 का है। सहीदन के वारिसान ने अपने शपथ–पत्र बयान भी दिये है, किन्तु तहत अदालत द्वारा सहीदन के वारिसान के बयानो को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक औरत सहीदन के विरूद्व आदेश पारित कर दिया। एक राजस्व वाद पेश किया जिसमें दिनाक

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

12.10.2018 को स्थगन समीरी वगै0 ने दलमीर के खिलाफ किया जो स्थगन दिनाक 18.11.2022 तक जारी रहा है, इससे यह बात साबित होती है, कि मृतक दलमीर के जीवन काल में भी आराजी विवादित थी, इस बिन्दू पर भी तहत अदालत ने गौर नही किया गया। तहत अदालत द्वारा अपने निर्णय में केवल एक ही तनकी जारी की गयी है, कि वसीयत वैध है, या अवैध जब तहत अदालत ने अपने निर्णय में यह मान लिया कि उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 572 वाके ग्राम अगवानी के द्वारा प्राप्त हुई है, इससे स्पष्ट है, कि आराजी विवादित दादालाई है। जिसकी वसीयत अवैध होती है। लेकिन तहत अदालत ने गौर नही किया गया। तहत अदालत द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अकित किया है, कि जाकिर हुसैन को अपने पुत्र के रूप में गोद लेने की पुष्टि होती है। प्राप्त आपत्तियो के कारण जो अपीलान्ट ने पेश की जिसकी सुनवाई का अधिकार नही होने के से मृतक दलमीर खॉ के विरासत नामान्तकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोश प्राप्त कर सकता है, इस आदेश से स्पष्ट होता है, कि तहत अदालत ने कोई कानूनी फाईन्डिग नही दी और आदेश गोलमाल करके पारित कर अहम कानूनी भूल की गयी है। तहत अदालत की पत्रावली की आदेशिका दिनाक 21.07.2023 में स्पष्ट अंकन किया है, कि जाकिर हुसैन ने गोदनामा की फोटो प्रति पेश की है, जबकि इससे पूर्व सभी बयान वसीयत के आधार से हुऐ और आदेशिका में वसीयत की नोटेरी की फोटो प्रति पेश की जिसकी कानून में कोई मान्यता नही है। इस लिऐ पूरे वृतान्त से यह स्पष्ट है, कि दादालाई आराजी की वसीयत की गयी है, को अवैध ठहराया जावे। अपील अपीलान्टान अन्दर मियांद स्वीकार फरमायी जाकर, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30.07.2023 प्रकरण संख्या 9/2021 को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 155, 202, 214, 285, 236, 237, 286, 203 वाके ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर स्थित है, उक्त आराजी मृतक दलमीर पुत्र उमर खॉ की खातेदारी में दर्ज थी। मिन रेस्पोडेन्ट के पिता दलमीर पुत्र उमर खॉ के कोई विधिक वारिस पुत्र नही रहा है, तथा मात्र पुत्रीयॉ ही विधिक वारिस रही है, जो विवाह होने के पश्चात अपने ससुरल में रहती है। मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता दलमीर ने रेस्पोडेंन्ट संख्या 2 के पुत्र जाकिर हुसैन को बच्चपन से ही अपने पास रख लिया था, तथा जाकिर हुसेन की पढाई लिखाई करता रहा है। तथा जाकिर हुसैन भी मिन रेस्पोडेन्ट के पिता की सेवा टहल व देखभाल करता रहा है, तथा उसके हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता रहा है। मिन रेस्पोडेन्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपनी चल व अचल सम्पति के बाबत कि भविष्य में कोई विवाद नही हो इस लिए मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पुत्र जाकिर हुसैन के हक में दिनाक 26.01.2003 को एक वसीयत तहरीर व तकमील करा दी तथा मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता के फौत होने पर आराजी जरिर्ये वसीयत जाकिर हुसैन को प्राप्त हुई है। मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वसीयत अपने नाम मृतक दलमीर की तहरीर नही करायी गयी है। न ही मिन रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई वसीयत के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण हेतु कोई कार्यवाही की गयी है। अपीलान्ट के द्वारा अपील में सभी तथ्य गलत अंकित किये गये है। मिन रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा अपनी समस्त चल अचल सम्पति की वसीयत जाकीर हुसैन के नाम की गयी है, तथा जाकिर हुसैन को गोद ले रखा था। तहत अदालत द्वारा इसी आधार पर जाकिर हुसैन का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विरासत का नामान्तरण दर्ज करने में उज्रात पेश होने पर अपने निर्णय दिनाक 30.07.2023 में सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने हेतु निर्णय पारित किया गया है। तथा प्रस्तुत अपील में अपीलान्टान द्वारा जाकिर हुसैन को पक्षकार नही बनाया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्टान की अपील सक्षम पक्षकार के अभाव में चलने योग्य नही है, खारिज की जावे। अपीलान्ट द्वारा अपील में जो तथ्य अंकित किये गये है, समस्त तथ्य मिथ्या व मनघंडत दर्ज किये गये है, जबकि वास्तविकता तो यह है, कि तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा मृतक दलमीर के सभी वारिसान को नोटिस दिया गया तथा मृतक दलमीर के सभी वारिसान द्वारा तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर के समक्ष अपने बयान दिये गये तथा सहीदन द्वारा भी अपने बयान दिये है, तथा सहीदन की मृत्यू होने के बाद अपीलान्ट को तहत अदालत को सहीदन की फौतगी की

जिला कलक्टर

जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत को सूचना नही दी गयी तथा तहत अदालत द्वारा नियमानुसार अपना सही निर्णय पारित किया गया है। इस लिए अपीलान्ट किसी भी प्रकार से तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करार दिलाने के अधिकारी नही है। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष एक वाद समीरी बनाम दलमीर पेश हुआ जिससे स्थगन आदेश जारी रहा था। लेकिन वादीया द्वारा उक्त वाद खारिज करा लिया गया तथा समीरी द्वारा गलत तथ्यो पर दावा पेश किया गया। गलत तथ्यो पर बिना हक दावा पेश करने से आराजी किसी भी प्रकार से विवादित नही हो जाती है, तथा वाद के संम्बध में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष पेश उज्रात मे कोई हवाला नही दिया गया है। तहत अदालत द्वारा दोनो पक्षो के सुनने के बाद किसी भी पक्षकार के हक में निर्णय नही कर मात्र सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने का निर्णय पारित किया है। तहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगवायी गयी तथा पक्षकारान के बयान व उज्रात लिया जाकर जाकिर हुसेन द्वारा वसीयत के आधार पर कार्यवाही को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा किसी भी प्रकार से आराजी को पैत्रिक होने या नही होने बाबत कोई तथ्य दर्ज नही किया गया है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार से तहत अदालत के निर्णय को अपास्त कराने का अधिकारी नही है। तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, कि जाकिर हुसेन को अपने पुत्र के रूप में गोद लेने की पुष्टि होती हैख् प्राप्त आपत्यिो के कारण जो अपीलान्ट ने पेश की गयी है, जिसकी सुनवाई का अधिकार क्षैत्र न्यायालय को नही होने से मृतक दलमीर खॉ के विरासत का नामान्तकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया विवादीत आराजी खसरा न0 हाल 155, 202, 214, 285, 236, 237, 286, 203 वाके ग्राम अगवानी तहसील मुण्डावर जो कि मृतक दलमीर पुत्र उमर खॉ जर्ये नामान्तकरण संख्या 572 से पिता उमर खॉ पुत्र शेर खॉ से विरासत में प्राप्त हुई है। मृतक दलमीर द्वारा वसीयत जाकिर हुसेन के पक्ष में की गयीं। तस्दीक की गयी वसीयत के बाबत तहत अदालत ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है, प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट, शपथ–पत्र, गवाहान बयान वसीयतकर्ता बिना पुत्र फौतगी, गोदनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सभी तथ्यो से मृतक दलमीर खॉ द्वारा वसीयत गृहिता जाकिर हुसैन को अपने पुत्र के रूप में गोद लेने की पुष्टि होती है। प्राप्त आपतियो के कारण सुनवाई का क्षैत्राधिकार कार्यालय हाजा को नही होने से मृतक दलमीर खॉ के विरासत का नामांन्तकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करे। उक्त क्रम में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित प्रतीत नही होता है, ऐसे प्रकरणो में तहत अदालत को चाहिऐ था, की वो पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिवत निर्णय पारित करते किन्तु तहत अदालत द्वारा उक्त प्रकरण में प्राप्त आपतियो के कारण सुनवाई का क्षैत्राधिकार कार्यालय हाजा को नही होने/मृतक दलमीर खॉ के विरासत का नामांन्तकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु पारित किया गया है। क्योकि प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्व पक्षकारान द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर नही किया गया है, ऐसे मामलो में वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनोती दी जाकर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, किन्तु पक्षकारा के द्वारा ऐसा नही किया गया है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को उचित नही ठहराया जा सकता है, अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2023 प्रार्थना पत्र वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने बाबत जॉच की गयी है, को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृतक दलमीर खॉ के विधिक वारिसान/ मृतक दलमीर खॉ के द्वारा जो वसीयत जाकिर हुसैन के पक्ष में जारी की गयी है, की जांच

जिला कलक्टर
जिला कैथल-निजाम (राज.)

कर विधिक प्रावधानुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अधिकतम 2 माह में प्रकरण का विधिवत पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा